20

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2213–तीन/2006 – विरूद्ध आदेश दिनांक 12–12–2005 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण क्रमांक 37/1997–98 निगरानी

1– श्रीमती माखन दुलैया पत्नि स्व. नाथूराम
2– मलखान पुत्र स्व.नाथूराम
3– ममता पुत्री स्व. नाथूराम
ग्राम पण्डोखर तहसील भाण्डेर, जिला दतिया ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– संतराम दोहरे ग्राम पण्डोखर सरपॅच ग्राम पंचायत पण्डोखर तहसील भाण्डेर, दतिया
2– मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदक क्र–1 के अभिभाषक श्री कुॅअर सिंह कुशवाह)
(अनावेदक क्र–2 के पैलन लायर श्री राजीव गौतम)

आ दे श

(आज दिनांक 2–1 –2017 को पारित)

यह निगरानी व्दारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 37/1997–98 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 12–12–2005 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि स्वर्गीय नाथूराम ने अपने जीवनकाल में नायव तहसीलदार तहसील भाण्डेर को आवेदन देकर मांग की कि मौजा पण्डोखर की भूमि सर्वे क्रमांक 1496 रकबा 4 वीघा 10 विसवा (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है),

पर उसका संबत 2032 से निरन्तर कब्जा चला आकर खेती कर रहा है इसलिये वादग्रस्त भूमि का व्यवस्थापन किया जाय। नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 76 अ-19/1993-94 पंजीबद्ध किया तथा जांच एंव सुनवाई करके आदेश दिनांक 30-10-1995 पारित किया तथा आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी भाण्डेर के समक्ष अपील कमांक 24/1995-96 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 31-3-1997 से अपील निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी कमांक 37/1997-98 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 12-12-2005 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर हितबद्ध पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि आवेदकगण के पति/पिता ने नायव तहसीलदार के समक्ष आवेदन दिनांक 25-8-1994 प्रस्तुत कर मांग की थी कि वादग्रस्त भूमि पोखर (नाला) है एंव संबत 2032 से निरन्तर काविज होकर खेती करते आ रहा है। जब नायव तहसीलदार ने आवेदन के तथ्यों जॉच की, तब सरपंच व्दारा आवेदन दिनांक 23-11-1994 प्रस्तुत कर बताया कि-''उक्त मानांक ग्राम पण्डोखर में स्थित होकर पोखर का मानांक है जिस पर पानी भरता है तथा उसमें ग्राम के पशु पानी पीते हैं तथा उक्त पोखर के पानी का प्रयोग दैनिक निस्तार के लिये भी होता है। ''

नायव तहसीलदार ने आदेश दिनांक 30-10-1995 में निष्कर्ष दिया है कि आवेदक को पूर्व में भी प्रश्नाधीन भूमि का पटटा हुआ था जिसे तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी व्दारा निरस्त किया गया था, जिसकी कोई अपील निगरानी नहीं की गई, इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अंतिम रूप ले चुका है। स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि के बन्टन पर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश Res-judicata के रूप में लागू है जिसके कारण नायव तहसीलदार ने ग्रामीणों के पशुओं के पानी पीने एंव निस्तार की सुविधा को ध्यान में रखकर आवेदक का भूमि आवन्टन आवेदन निरस्त किया है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी भाण्डेर ने आदेश दिनांक 31-3-97 में तथा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 37/1997-98 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 12-12-2005 में नायव तहसीलदार के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के पठन पर उनके व्दारा निकाले गये निषकर्ष समरूप हैं जिसके कारण निगरानी में हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 37/1997-98 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 12-12-2005 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर